संख्या-22/2018/344/60-3-18-65(सा)/16टी0सी0

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2018

विषय-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की नवीन गाईडलाईन्स स्वाधार गृह-2015 के अनुसार स्वाधार गृहों के संचालन एवं मॉनिटरिंग करने हेतु जिला स्तरीय समिति गठित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्वाधार योजना के अन्तर्गत स्थापित/संचालित सभी स्वाधार गृहों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की नवीन गाइड लाईन, 2015 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर स्वाधार गृहों के अनवरत संचालन एवं मानिटिरिंग हेतु निम्नवत् कमेटी गठित किये जाने का प्रावधान हैः-

1-	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2-	मुख्य चिकित्साधिकारी	-	सदस्य
3-	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
4-	जिला प्रोबेशन अधिकारी	-	सदस्य सचिव
5-	जिला विधिक सेवा, प्राधिकरण के प्रतिनिधि	-	सदस्य
6-	नगर निकाय/पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
7-	जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला का अन्य कोई प्रसिद्ध व्यक्ति	-	सदस्य

जिला स्तरीय उक्त समिति में कम से कम दो महिला सदस्यों को रखा जायेगा एवं प्रत्येक तिमाही में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी। प्रत्येक क्रियान्वयनकारी संस्था (Implementing Agency) स्वाधार गृह की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (Quaterly Progress Report), संस्था में आवासित संवासिनियों तथा पुनर्वासित महिलाओं की सूची निर्धारित प्रारूप पर उक्त जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध उक्त नवीन गाईडलाईन्स स्वाधार गृह-2015 की अपेक्षानुसार जिला स्तरीय समिति गठित करते हुये शासन को अवगत करायें तथा गठित समिति द्वारा यथाअपेक्षित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-344 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, गृह/चिकित्सा स्वास्थ्य/न्याय/पंचायती राज/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
4- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।
5- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।